Toppersnotes®
Unleash the topper in you

MP - PSC

राज्य सिविल सेवा

PRE

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 5

संविधान सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकाय

SIERRA INNOVATIONS

MP-PSC PRE

संविधान सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकाय

S.No.	Chapter Name	Page No.
	इकाई – 6 (भारतीय संविधान)	
1.	भारतीय संविधान का निर्माण	1
2.	संवैधानिक संशोधन	13
3.	मौलिक अधिकार	22
4.	राज्य नीति के निदेशक तत्व	41
5.	मौलिक कर्तव्य	47
6.	राष्ट्रपति	50
7.	उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)	59
8.	प्रधानमंत्री	62
9.	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद	66
10.	संसद	72
11.	उच्चतम न्यायलय	107
12.	उच्च न्यायलय	111
13.	भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के अन्य आयाम	114
	इकाई – 6 (भारतीय अर्थव्यवस्था)	
14.	राष्ट्रीय आय	121
15.	मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र	126
16.	भारत में बैंकिंग	134
17.	वित्तीय समावेशन	153
18.	मौद्रिक नीति	157
19.	कराधान	162
20.	भारतीय सार्वजनिक वित्त	178
21.	कृषि	187
22.	भारत में उद्योग और सेवा क्षेत्र	214
23.	शेयर बाजार	229
24.	बाहरी क्षेत्र और भुगतान संतुलन	232

1 CHAPTER भारतीय संविधान का निर्माण

- संविधान **नियमों ,उपनियमों** का एक ऐसा **लिखित दस्तावेज** है-
  - जिसके अनुसार **सरकार का संचालन** किया जाता है।
  - जो **देश की राजनीतिक व्यवस्था** का **बुनियादी ढाँचा** निर्धारित करता है।
  - जो **राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** की स्थापना, उनकी **शक्तियों तथा दायित्वों** का सीमांकन एवं **राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन** करता है।

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773	• मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन • बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना • इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस थे। • बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था। • भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी। • कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई जिसमें एक मुख्यन्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यक कर दिया।
समझौता अधिनियम(बंदोबस्त कानून), 1781	• 1781 के संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया। • कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और हिन्दू व मुस्लिमों के बाद उनके निजी कानूनों के हिसाब से तय करने का प्रावधान किया गया। • न्यायालय को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करने का अधिकार था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	• द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की।
	  ○ कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी |
	  ○ अपने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक निकाय का गठन किया गया।
	• ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।

चार्टर अधिनियम, 1813	• भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। ○ अपवाद- चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। • कर लगाने के लिए स्थानीय सरकारो को अधिकृत किया |

चार्टर अधिनियम, 1833	• बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल(GGI) बना।
	• GGB = भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)।
	  ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया।
	  ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ।
	• कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।

चार्टर अधिनियम, 1853	• भारत का गवर्नर जनरल(GGI) की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया।

	• गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी भारतीय सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई। • भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएँगे)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। • भारत का गवर्नर जनरल (GGI) के पद को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (लॉर्ड कैनिंग)। ○ भारत का गवर्नर जनरल (GGI)- भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वेध प्रणाली को समाप्त किया गया। • भारत के राज्य सचिव, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद् का गठन किया गया।
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861	• भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए वायसराय द्वारा नामांकित करने की व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) • बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। • वायसराय द्वारा परिषद् के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे | ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियों प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892	• केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई। • विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया | • केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान | • इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद्, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफ़ारिशो पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी |
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909	• मॉर्ले-मिंटो सुधार। • केंद्रीय परिषद् में सदस्य 16 से 60 तक और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी। • दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे , बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे। • वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	• मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है । • केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया। • प्रांतीय विषय- विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शाषित| • प्रांतीय विषय- गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित। • देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की।

	• वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था । • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। • संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना। • लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। • सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य रियासतें एक इकाई मानी गई।
	• शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया।
	  ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय)
	  ○ प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय)
	  ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)।
	• अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया ।
	• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।
	  ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई।
	• केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर
	• संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था।
	• 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।
	• दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया।
	• भारतीय परिषद् को समाप्त कर दिया गया।
	• भारतीय रिजर्व बैंक भारत देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए स्थापना की गई।
	• संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना ।
	• 1937 में संघीय-न्यायालय स्थापित किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया | • भारतीय राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को अपनी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। • सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया गया । • उसे विधेयकों को वीटो करने के अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने के लिए कहा। • भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की एक **संविधान सभा की स्थापना** का **प्रावधान** किया था:

- **कुल सदस्य** = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत
  - **296 सीटें ब्रिटिश भारत** को आवंटित की गईं
    - **292 सदस्य** - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से
    - **4 सदस्य** - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से
  - **रियासतों** को **93** सीटें दी गईं।
- उनकी संबंधित **जनसंख्या** के **अनुपात में सीटों का** आवंटन किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को **आवंटित सीटों** को **मुसलमानों**, **सिखों** और **जनरल** (अन्य) के बीच उनकी **जनसंख्या** के **अनुपात में विभाजित** किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के **प्रतिनिधियों का चुनाव** उस समुदाय के सदस्यों द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को **देशी रियासतों** के **प्रमुखों** द्वारा **मनोनीत** किया जाता था।
- **सदस्यों** का **चुनाव अप्रत्यक्ष रूप** से प्रांतीय **विधानसभाओं** के **सदस्यों** द्वारा किया जाता था।
- **जनता** की **भावनाओं** को **प्रस्तुत नहीं** किया, क्योंकि **प्रांतीय विधानसभाओं** के सदस्य **सीमित मताधिकार** पर चुने जाते थे।
- **ब्रिटिश भारतीय प्रांतों** के लिए **चुनाव जुलाई-अगस्त**, 1946 में हुए।
  - **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने 208 सीटें जीतीं,
  - **मुस्लिम ली**ग ने 73 सीटें जीती,
  - 15 सीटें **निर्दलीय** प्रतिनिधियों को मिली।
- रियासतों की **सीटें नहीं भरी** गई क्योंकि उन्होंने **खुद को विधानसभा** से अलग रखने का **निर्णय** लिया |
- सभा में समाज के **हर वर्ग के प्रतिनिधि** थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- **28 अप्रैल, 1947** को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- **3 जून 1947** की **माउंटबेटन योजना** के बाद, अधिकांश रियासतों ने सभा में प्रवेश किया।
- बाद में **भारतीय अधिराज्य** से **मुस्लिम लीग भी सभा** में शामिल हो गई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- **पहली बैठक-** 9 दिसंबर, 1946
  - केवल **21 सदस्यों** ने भाग लिया।
- **मुस्लिम** लीग ने बैठक का **बहिष्कार** किया और **पाकिस्तान** के रूप में एक अलग देश की **माँग** की।
- **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** विधानसभा के **अस्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुने गए, (फ्रांस प्रथा की तरह)
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को विधानसभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुना गया था
- **उपाध्यक्ष** : एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी

उद्देश्य प्रस्ताव

- **13 दिसंबर, 1946** को पं**. जवाहर लाल नेहरू** द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
  - **22 जनवरी, 1947** को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा **स्वीकृत** कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत को **स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य** घोषित किया।
  - भारत, इसमें शामिल होने वाले **ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का संघ** होगा।
  - **सीमाएं संविधान सभा द्वारा निर्धारित** की जाएंगी।
    - इसके पास **अवशिष्ट शक्तियां** भी होंगी और **सरकार** और **संघ** में निहित प्रशासन की **सभी शक्तियों** और **कार्यों का प्रयोग** करेगी।
  - **संप्रभु स्वतंत्र भारत** की सभी **शक्तियाँ** और **अधिकार भारत की जनता** से प्राप्त होगी।

- **भारत** के **सभी लोगों को दिया** जाएगा:
  - न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
  - अवसर की स्थिति और कानून के समक्ष समानता;
  - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, संगति और कर्म की स्वतंत्रता
- दुनिया में अपना सही और **सम्मानित स्थान** प्राप्त करना और **विश्व शांति** को बढ़ावा देने और **मानव जाति** के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, के बाद परिवर्तन 1947

- **संविधान सभा** → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से **संप्रभु निकाय** बनाया गया |
- देश के लिए **संविधान बनाने** और **सामान्य कानून** बनाने के लिए **जिम्मेदार विधायी निकाय** बन गया।
  - **संवैधानिक निकाय** के रूप में काम किया → अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद ।
  - एक **विधायिका** के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवंबर, 1949 तक)।
- **मुस्लिम लीग** संविधान सभा से **हट** गई।
  - संविधान सभा की **कुल सदस्य संख्या** 389 से घटाकर **299** रह गई।
  - भारतीय प्रांतों की कुल सदस्य संख्या 296 . से घटकर 229 हो गई
  - रियासतों की कुल सदस्य संख्या 93 से 70 हो गईं।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- **मई 1949** में भारत की **राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि** की
- भारत के **राष्ट्रीय ध्वज** को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया
- **राष्ट्रगान** को 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को 24 जनवरी, 1950 को **भारत के पहले राष्ट्रपति** के रूप में चुना गया
- **संविधान सभा** ने 24 जनवरी, 1950 को अपना **अंतिम सत्र** आयोजित किया लेकिन **26 जनवरी, 1950** से **1951-52** में **पहले आम चुनाव** होने तक **अंतरिम संसद** के रूप में कार्य जारी रखा ।

संविधान सभा की समितियां

	समिति	**अध्यक्ष**
प्रमुख समिति	संघीय शक्ति समिति	जेनेहरू .एल .
	संघीय संविधान समिति	जेनेहरू .एल .
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ बी आर अम्बेडकर
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकार उपसमिति-	जे बी कृपलानी
	अल्पसंख्यक उपसमिति-	एच सी मुखर्जी
	उत्तरपूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक रूप से - समिति-अपवर्जित क्षेत्र उप	गोपीनाथ बोरदोलोई
	अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रसमिति-उप (असम के अलावा)	ए वी ठक्कर
	उत्तरसमिति-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-	
	प्रक्रिया के नियम समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए)	जवाहर लाल नेहरू
	संचालन समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
लघु समिति	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति	ए के अय्यर
	सदन समिति	बी पट्टाभि सीतारामय्या

	"व्यापार का क्रमसमिति "	डॉ के एम मुंशी
	राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति	जी वी मावलंकर
	अनुसूचित जाति पर तदर्थ समिति	एस वरादाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति	पट्टाभि सीतारमैया
	संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एस के धार
	संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
	नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति	एस वल्लभाचारी

प्रारूप समिति

- **29 अगस्त 1947** को नए संविधान का **मसौदा** तैयार करने के लिए **स्थापित** की गई थी ।
- **समिति के सदस्य सात -**
  - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष ।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर ।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ।
  - डॉ. के.एम. मुंशी ।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला ।
  - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर सदस्य बनाए गए)।
  - टी.टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली) ।
- संविधान का **पहला प्रारूप** फरवरी, 1948 में तैयार किया गया
- **दूसरा प्रारूप** अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ ।

संविधान का प्रभाव में आना

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने 4 नवंबर, 1948 को **अंतिम प्रारूप** पेश किया ।
- **प्रारूप पहली बार पढ़ा** गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई ।
- संविधान पर **दूसरी बार** 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ ।
- **तीसरी बा**र 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ ।
- 26 नवंबर, 1949 (**संविधान दिवस**) को पारित किया गया ।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए **प्रारूप संविधान में निहित** थे – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू।
  - **शेष प्रावधान** 26 जनवरी, 1950 को **लागू** हुए।
- **संविधान** को **अपनाने** के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी **प्रावधान निरस्त** कर दिए गए।
- **एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट** (1949) लागू रहा ।

संविधान सभा की आलोचना

- **प्रतिनिधि निकाय नहीं** - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ ।
- एक **संप्रभु निकाय नहीं** - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- **अमेरिकी संविधान** (जिसमें केवल 4 महीने लगे) की तुलना में **संविधान को तैयार करने में अधिक समय** लगा।
- **कांग्रेस** का **प्रभुत्व** रहा ।
- **वकीलों** और **राजनेताओं** का **वर्चस्व** रहा ।
- **हिंदुओं का वर्चस्व** रहा ।

- **एस.एन. मुखर्जी** = संविधान के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** = सुलेखक (कैलिग्राफर)
  - संविधान के मूल शब्दों को **इटैलिक शैली** में लिखा ।
- **नंद लाल बोस** और **राममनोहर सिन्हा** सहित शांति निकेतन के **कलाकारों द्वारा सुशोभित** और सजाया गया।
- **हिंदी संस्करण की सुलेख** = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - **नन्द लाल बोस** द्वारा **सजाया** और प्रकाशित किया गया।
- **हाथी** = संविधान सभा का **प्रतीक।**
  - **हाथी की छवि** सभा की **मुहर** पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से, भारत के संविधान ने "**हिंदी भाषा** में **संविधान के आधिकारिक** पाठ" के संबंध में कोई **प्रावधान नहीं** किया।
  - **हिंदी प्रारूप**- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए सम्मिलित किया।

संविधान के कार्य

- **8राजनीतिक समुदाय** की **सीमाओं** को **घोषित और परिभाषित** करना ।
- राजनीतिक समुदाय की **प्रकृति और अधिकार** को **घोषित और परिभाषित** करना ।
- एक **राष्ट्रीय समुदाय** की **पहचान और मूल्यों को व्यक्त** करना ।
- नागरिकों के **अधिकारों और कर्तव्यों** की घोषणा करना और उन्हें **परिभाषित** करना।
- सरकार की **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ** स्थापित करना ।
- **सरकार या उपराज्य समुदायों-** के विभिन्न स्तरों के बीच **शक्ति का वितरण** करना ।
- राज्य की **आधिकारिक धार्मिक पहचान** घोषित करना |
- विशेष रूप से **सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों** के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना ।

प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विशवास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की संता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवृत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।"

- **संविधान का परिचय** या प्रस्तावना,**संविधान के लिए दिशानिर्देश** प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में **बुनियादी दर्शन** और **मौलिक मूल्यों का प्रतीक** है।
- संविधान के **संस्थापकों** के सपनों और **आकांक्षाओं** को **दर्शाता** है।
- **शेष संविधान** के लागू होने के **बाद अधिनियमित** किया गया था।
- **न** ही **विधायिका** की **शक्ति का स्रोत** है और **न** ही कोई **निषेधक।**
- **गैर-न्यायसंगत कानून** की **अदालतों** में **लागू करने योग्य नहीं।**
- **बुनियादी ढाँचे** को बदले **बिना संशोधित** किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के **अधिकार का स्त्रोत** → भारत के लोग।
- **भारत की प्रकृति** → भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- **संविधान के उद्देश्य** → न्याय, स्वतंत्रता, समwता और बंधुत्व
- **संविधान लागू होने की तिथि** - 26 नवंबर, 1949 ।

प्रस्तावना में प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता -** पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी **अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं** होती है तथा अपने **आंतरिक या बाहरी मामलों** के **निष्पादन में स्वतंत्र** होती है।
  - **संप्रभु** हुए बिना किसी **देश का अपना संविधान नहीं** हो सकता।
  - **भारत** एक **संप्रभु दे**श है।
  - यह किसी भी **बाहरी नियंत्रण से मुक्त** है।
- **समाजवादी - मूल संविधान** का **हिस्सा नहीं।**
  - **42वें संशोधन अधिनियम** द्वारा जोड़ा गया।
  - **आर्थिक नि**योजन के संदर्भ में **उपयोग** किया जाता है।
  - **असमानताओं** को दूर करने, सभी के लिए **न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं** का **प्रावधान**, समान काम के लिए **समान वेतन** जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम** 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  - **भारत न** तो **धार्मिक** है, **न अधार्मिक** है और **न** ही **धर्म विरोधी** है।
  - **कोई राष्ट्रीय धर्म** नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणतंत्र - सरकार लोगों द्वारा** चुनी जाती है और **लोगों** के **प्रति जिम्मेदार** और **जवाबदेह** होती है।
  - **लोकतांत्रिक प्रावधान** - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
  - **गणतंत्र** - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय -** लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में गरिमा के साथ जीने के **बुनियादी अधिकारों** आदि **प्रदान करना** जिसके वह हकदार हैं।
  - न्याय के तत्वों को **रूसी क्रां**ति (1917) से लिया गया है।
  - **न्याय के तीन आयाम**- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
    - **सामाजिक न्याय -** जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
    - **आर्थिक न्याय -** आर्थिक कारकों पर कोई भेदभाव नहीं।

      सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = अनुपाती न्याय'
    - **राजनीतिक न्याय -** सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।
- **स्वतंत्रता –** विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
  - **फ्रांसीसी क्रांति** (1789-1799) से लिया गया।
- **समता -** समाज के किसी भी वर्ग के लिए **विशेष विशेषाधिकारों** का **अभाव** और **बिना किसी भेदभाव** के सभी व्यक्तियों के लिए **पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।**
  - **समानता के तीन आयाम**- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व -** भाईचारे की भावना; एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51ए (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबाडी संघ मामला, 1960	**केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973**	**केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामला, 1995**
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत

नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	में कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।

संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- **सबसे लंबा लिखित संविधान -** इसमें शामिल हैं -
  - **राज्यों** और **केंद्र** और उनके **अंतर्संबंधों** के लिए **अलग प्रावधान।**
  - दुनिया के **कई स्रोतों** और **संविधानों** से **उधार लिए गए** प्रावधान।

क्र. सं.	देश	विशेषताएं
1.	ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
2.	कनाडा	• सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना • केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन
3.	आयरलैंड	• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत • राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
4.	जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
5.	सोवियत संघ (रूस)	• मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय सामाजिक), आर्थिक और राजनीतिकका आदर्श (
6.	यूके	• संसदीय शासन • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • मंत्रिमंडल प्रणाली • परमाधिकार लेख • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदनवाद
7.	अमेरिका	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना • उपराष्ट्रपति का पद
8.	जर्मनी (वीमर)	• आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन
9.	दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
10.	फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार

  - **अनुसूचित जाति**, अनुसूचित **जनजाति**, **महिलाओं**, **बच्चों** और **पिछड़े क्षेत्रों** के लिए **अलग प्रावधान।**
  - अधिकारों की **विस्तृत सूची, डीपीएसपी** और **प्रशासन प्रक्रियाओं** का **विवरण।**

- **मूल** रूप से)1949) में **एक प्रस्तावना**, **395 अनुच्छेद**)22 भागों में विभाजित और (**8 अनुसूचियां** थीं।
- **वर्तमान** में, इसमें **एक प्रस्तावना**, **25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ** और अब तक के **104 संशोधन** शामिल हैं।

- **कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -**
  - कुछ हिस्सों में **सामान्य कानून** बनाने की **प्रक्रिया** द्वारा **संशोधन** किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की **कुल सदस्यता के बहुमत** से और उस सदन के **उपस्थित** और **मतदान** करने वाले सदस्यों के **कम से कम दोतिहाई सदस्यों-** के **बहुमत** से **संशोधित** किया जा सकता है।
  - कुछ **संशोधनों को राष्ट्रपति** के समक्ष **स्वीकृति** के लिए **प्रस्तुत** किए जाने से पहले कम से कम आधे **राज्यों के विधानमंडलों** द्वारा **अनुसमर्थित** करने की भी **आवश्यकता** होती है।
- **भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में -**
  - भारत **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर अपने **निर्वाचित प्रतिनिधियों** के माध्यम से अपने **लोगों द्वारा शासित** होता है।
- **सरकार की संसदीय प्रणाली -**
  - संसद **मंत्रिपरिषद् के कामकाज** को **नियंत्रित** करती है
  - कार्यपालिका **विधायिका के प्रति उत्तरदायी** होती है और जब तक उसे **विधायिका का विश्वास प्राप्त** है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के **राष्ट्रपति**, जो **पांच साल तक पद पर** बने रहते हैं, **नाममात्र** के या **संवैधानिक प्रमुख**होते हैं। (कार्यकारी)
    - प्रधान मंत्री **वास्तविक कार्यकारी** और **मंत्रिपरिषद्** के (लोकसभा) जो सामूहिक रूप से निचले सदन) **प्रति जिम्मेदार** होता हैंके प्रमुख होते हैं । (
- **एकल नागरिकता -**
  - संघ द्वारा **एकल नागरिकता** प्रदान की जाती है और पूरे भारत में **सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त** है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार -**
  - यह **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** की विधि के माध्यम से **भारत में राजनीतिक समानता** स्थापित करता है जो **'एक व्यक्ति एक वोट'** के आधार पर कार्य करता है।
  - प्रत्येक भारतीय जिसकी **आयु 18 वर्ष** या उससे अधिक है, **जाति, लिंग**, **नस्ल, धर्म** या **स्थिति** के बावजूद चुनाव में मतदान करने का हकदार है।
- **स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली -**
  - **कार्यपालिका** और **विधायिका** के **प्रभाव** से **मुक्त।**
  - **उच्च न्यायालय** और अन्य निचली अदालतें **सर्वोच्च न्यायालय** है के नीचे आती हैं।
- **मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक सिद्धांत -**
  - मौलिक अधिकार **अपरिवर्तनीय नहीं** हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा **परिभाषित सीमाओं** के **अधीन** हैं और न्यायलय के माध्यम से लागू किये जा सकते हैं।
  - राज्य के **नीति निदेशक सिद्धांत** शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले **दिशानिर्देश** हैं और न्यायलय के माध्यम से **लागू नहीं** किये जा सकते ।
  - **42 वें संशोधन** द्वारा जोड़े गए मौलिक **कर्तव्य नैतिक विवेक पर आधारित** हैं जिनका **नागरिकों को पालन** करना चाहिए।
- **एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय प्रणाली -**
  - **भारत विनाशकारी राज्यों** का एक **अविनाशी संघ** है जिसका अर्थ है कि यह **आपातकाल** के समय **एकात्मक चरित्र** प्राप्त करता है।
- **न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के मध्य समन्वय -**
  - **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति के साथ एक **स्वतंत्र न्यायपालिका।**

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
भाग I	संघ और उसका क्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4
भाग II	नागरिकता	अनुच्छेद 5 से 11
भाग III	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35
भाग IV	राज्य के नीति निदेशक तत्व	अनुच्छेद 36 से 51

भाग IVA	मौलिक कर्त्तव्य	अनुच्छेद 51A
भाग V	केंद्र सरकार अध्याय I – कार्यपालिका (अनुच्छेद 52 से 78) अध्याय II – संसद (अनुच्छेद 79 से 122) अध्याय III – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ(अनुच्छेद 123) अध्याय IV -केन्द्रीय न्यायपालिका(अनुच्छेद 124 से 147) अध्याय V – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 से 151)	अनुच्छेद 52 से 151
भाग VI	राज्य सरकार अध्याय I – सामान्य नियम(अनुच्छेद152) अध्याय II – कार्यपालिका (अनुच्छेद 153 से 167) अध्याय III – राज्य विधायिका (अनुच्छेद 168 से 212) अध्याय IV – राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 213) अध्याय V – उच्च न्यायालय(अनुच्छेद 214 से 232) अध्याय VI – अधीनस्थ न्यायालय(अनुच्छेद 233 से 237)	अनुच्छेद 152 से 237
भाग VII	पहली अनुसूची के B भाग में राज्यों के नियम, संविधान द्वारा निरसित (7 वां संशोधन अधिनियम 1956)	
भाग VIII	केन्द्र शासित प्रदेश	अनुच्छेद 239 से 242
भाग IX	पंचायत	अनुच्छेद 243 से 243O
भाग IXA	नगरपालिकाएँ	अनुच्छेद 243P से 243ZG
भाग IXB	सहकारी समितियाँ	अनुच्छेद 243H से 243ZT
भाग X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	अनुच्छेद 244 से 244A
भाग XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I -विधायी संबंध (अनुच्छेद 245 से 255) अध्याय II – प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263)	अनुच्छेद 245 से 263
भाग XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद अध्याय I – वित्त(अनुच्छेद 264 से 291) अध्याय II – ऋण (अनुच्छेद 292 से 293) अध्याय III – संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएँ, दायित्व और सूट(अनुच्छेद 294 से 300) अध्याय IV – संपत्ति का अधिकार(अनुच्छेद 300-A)	अनुच्छेद 264 से 300A
भाग XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध	अनुच्छेद 301 से 307
भाग XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनुच्छेद 308 से 323
भाग XIVA	न्यायाधिकरण	अनुच्छेद 323A से 323B
भाग XV	चुनाव / निर्वाचन	अनुच्छेद 324 से 329A
भाग XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान	अनुच्छेद 330 से 342
भाग XVII	आधिकारिक भाषा अध्याय I – संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 से 344) अध्याय II – क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद 345 से 347) अध्याय III-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा(अनुच्छेद 348 से 349) अध्याय IV-विशेष निर्देश (अनुच्छेद 350 से 351)	अनुच्छेद 343 से 351
भाग XVIII	आपातकाल के प्रावधान	अनुच्छेद 352 से 360
भाग XIX	विविध	अनुच्छेद 361 से 367
भाग XX	संविधान संशोधन	अनुच्छेद 368
भाग XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन (ट्रॉजिशनल) और विशेष प्रावधान	अनुच्छेद 369 से 392
भाग XXII	लघु उपाधि, प्रारंभ , हिन्दी में आधिकारिक पाठ और निरसन	अनुच्छेद 393 से 395

अनुसूचियाँ संविधान में सूचियाँ हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

प्रथम अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। 2. केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा।
द्वितीय अनुसूची	इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची	इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
चौथी अनुसूची	इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवी अनुसूची	इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची	इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची	इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अन्तगर्त तीन सूचियाँ है- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची	इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं, 1967 ई. में सिंधी को और 1992 ई. में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ई. में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची	संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।
दसवीं अनुसूची	यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
ग्यारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन)1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
बारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन)1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिय 18 विषय प्रदान किए गए हैं।